(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)**
**8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI**

No.F.14(19)/LA-2011/-Llaw/5 Dated 13 the February, 2012

**NOTIFICATION**

No.F.14(19)/LA-2011/Llaw/5 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 1st February, 2012 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2012**
**(DELHI ACT 01 OF 2012)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 12th January, 2012)

[1st February, 2012]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint, except section 7 of this Act which shall be deemed to come into force with effect from 1st April, 2005.

2. **Amendment of section 2.**- In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, in sub-section (1), in clause (zl), for the word "including", the word "excluding" shall be substituted.

3. **Amendment of section 3.**- In the principal Act, in section 3, in sub-section (4),-

(a) for the words "twenty eight", the words "twenty one" shall be substituted;
(b) in the proviso, for the number "28", the number "21" shall be substituted.

DVS

4. **Amendment of section 28.**- In the principal Act, in section 28,-

(a) in sub-section (1), for the words "four years", the words "the next financial year" shall be substituted;
(b) in sub-section (2), for the words "four years", the words "the next financial year" shall be substituted.

5. **Amendment of section 29.-** In the principal Act, in section 29, after the second Explanation, the following Explanation shall be inserted, namely:--

"Explanation 3.- For the purposes of this Act, any return having digital signature as defined under clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (No.21 of 2000), shall be treated as if the return has been signed as required under this Act".

6. **Amendment of section 74.** - In the principal Act, in section 74, in sub-section (10), for the word "seven", the word "eight" shall be substituted.

7. **Amendment of section 81.-** In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), in section 81, in sub-section (2), after the proviso to clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that the above proviso shall be deemed to have come into force with effect from the First day of April, 2005.".

8. **Amendment of section 106.-** In the principal Act, in section 106, after sub-section (3), the following sub-section shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the first day of April, 2005, namely:--

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act, for the purpose of the levy, assessment, deemed assessment, reassessment, appeal, revision, review, rectification, reference, registration, collection, refund or input or credit of input tax, of allowing benefit of exemption or deferment of tax, imposition of any penalty or of interest or forfeiture of any sum, which relates to any period ending before Ist day of April, 2005 or for any other purpose whatsoever connected with or incidental to any of the purposes aforesaid, and whether or not the tax, penalty, interest or sum forfeited, if any, in relation to such proceedings, is paid before, on or after Ist day of April, 2005, the repealed Act and all rules, regulations, orders, notifications, forms and notices issued thereunder and in force immediately before Ist day of April, 2005 shall continue to have effect as if this Act has not been passed."

DVS

13/02/12

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8वॉं तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली -110002

दिनांक 13 फरवरी, 2012

सं0 फा0 14(19)/एलए-2011/ ulaw/5

**अधिसूचना**

सं0 फा0 14(19)/एलए-2011/ ulaw/5 .- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 1 फरवरी, 2012 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

**"दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012**
**(2012 का दिल्ली अधिनियम 01)**

**(12 जनवरी, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)**

[1 फरवरी, 2012]

**दिल्ली मूल्य** सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

**भारत गणराज्य** के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में **यह अधिनियम**ित हो :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :-** (1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) **अधिनियम**, 2012 कहा जायेगा।

(2) **यह समस्त** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित है।

(3) **यह उस** तारीख से लागू होगा जैसा सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें। **परन्तु इसमें** इस अधिनियम की धारा 7 शामिल नहीं है जो 1 अप्रैल, 2005 से लागू मानी जायेगी।

2. **धारा 2** का संशोधन :- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम **03) जिसे** (इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधरा (1), के खंड (**जैड एल) में** "शामिल" शब्द के स्थान पर "छोड़कर" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **धारा 3** का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 4 में-
(क) **"अठाईस"** शब्द के स्थान पर "इक्कीस" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
(ख) **परन्तुक** में संख्या "28" के स्थान पर "21" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **धारा 28** का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 28 में -
(क) **उपधारा** (1) में "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर "आगामी वित्तीय वर्ष" शब्दों को प्रतिस्थापित किया **जायेगा**।
(ख) **उपधारा** (2) में "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर "आगामी वित्तीय वर्ष" शब्दों को प्रतिस्थापित किया **जायेगा**।

5. **धारा 29** का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 29 में दूसरे स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित **स्पष्टीकरण** को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:-

**"स्पष्टीकरण** 3.- इस अधिनियम के उद्देश्य के लिये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या **21) की** धारा 2 की उपधारा के खंड (पी) के अन्तर्गत यथापरिभाषित डिजिटल हस्ताक्षर वाली रिटर्न को **ऐसा ही माना** जायेगा जैसा इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हस्ताक्षर किये गये हैं।

6. धारा 74 का संशोधन :— मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (10) में "सात" शब्द के स्थान पर "आठ" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. धारा 81 का संशोधन :— दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 81 की उपधारा (2) में खंड (क) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—
"आगे उपबंध है कि उक्त परन्तुक को 01 अप्रैल, 2005 से लागू होना माना जायेगा।"

8. धारा 106 का संशोधन :— मूल अधिनियम की धारा 106 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को जोड़ा जायेगा, और इसे 01 अप्रैल, 2005 को जोड़ा गया माना जायेगा, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम में कुछ भी होते हुए 01 अप्रैल, 2005 से पहले समाप्त अवधि के विषय में वसूली, निर्धारण अनुमानित निर्धारण, पुनः निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा, शुद्धिशोधन, संदर्भ, पंजीकरण, संग्रह, जमा वापसी या जमा कर, छूट के लाभ की अनुमति या कर को आगे बढ़ाने, कोई अर्थदंड लगाने या ब्याज या किसी राशि को जब्त करने या कोई भी अन्य उद्देश्य जो उपरोक्त उद्देश्यों से संबंधित या प्रासंगिक हो या न हो तथा या ऐसी कार्यवाहियों के विषय में कर अर्थदंड, ब्याज या जब्त राशि, यदि कोई है, ऐसी कार्यवाहियों के कारण जिसका भुगतान 01 अप्रैल, 2005 से पहले किया गया है, निरस्त अधिनियम तथा 01 अप्रैल, 2005 से तत्काल पहले लागू इसके अन्तर्गत जारी सभी नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं, फार्म तथा नोटिस का ऐसा ही प्रभाव रहेगा जैसे अधिनियम पारित न किया गया हो।"

तरुन सहरावत

(तरुन सहरावत)
अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)